संघे शक्ति सर्वदा
सत्यमेव जयते
लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005
web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रूड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258
भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639
धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263
संगठन मंत्रीगण
नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234
मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099
करूणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600
कोषाध्यक्ष
सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229
लेखा परीक्षक
शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक ....38/महामंत्री.... दिनांक ...21-08-2024...

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय,
उ0प्र0 शासन।

विषयः— शासनादेश संख्या 1382/एक —9—2024 राजस्व अनुभाग—9 दिनांक 16 अगस्त 2024 द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकार अभियान कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1382/एक —9—2024 राजस्व अनुभाग—9 दिनांक 16 अगस्त 2024 द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकार अभियान चलाकर मृतक खातेदारों की वरासत खतौनियों में दर्ज कराये जाने का कार्यक्रम निर्गत किया गया है। उक्त कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप से सफल बनाने हेतु सादर अवगत कराना है कि खतौनी कम्प्यूटराईजेशन के पूर्व हस्तलिखित षटवार्षिक खतौनी लेखपाल के पास उपलब्ध होती थी जिसे लेखपाल अद्यतन करता था। तत्पश्चात कम्प्यूटरीकृत षटवार्षिक खतौनी रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा तैयार कर लेखपालों को उपलब्ध करायी जाने लगी तथा संशोधन आदेशों की पर्चियां भी लेखपालों को खतौनी अद्यतन रखने हेतु उपलबध करायी जाती थीं। खतौनी अद्यतन रखने हेतु मृतक खातेदारों की वरासत दर्ज करने हेतु गांव में लेखपालों द्वारा खतौनी पढ़ी जाती थी जिससे जांच उपरान्त प्रकियानुसार वरासत दर्ज हो जाती थी।

गतवर्ष 1431 फसली से षटवार्षिक खतौनी बनना बन्द हो गया है। उसके स्थान पर गाटावार रियल टाईम खतौनी पूर्ण रूप से प्रचलन में आ गयी है। रियल टाईम खतौनी में गाटे प्रतिदिन/प्रतिक्षण संशोधित आदेश के साथ अपडेट होते रहते हैं। रियल टाईम खतौनी के प्रिन्ट लेखपालों को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं और अद्यतन रियल टाईम खतौनी लेखपालों को उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है।

उपरोक्त आदेश के कम में दिनांक 16.08.2024 से 31.08.2024 तक गांव में खतौनी पढ़े जाने का कार्यक्रम दिया गया है। जब वर्तमान प्रचलित अद्यतन रियल टाईम खतौनी लेखपालों को उपलब्ध ही नहीं करायी गयी है तब

Scanned with OKEN Scanner

गांव में खतौनी पढ़ने का कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों में अव्यहारिक हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश में उल्लिखित कार्यक्रम के क्रमांक 5 के अनुसार लेखपाल क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण अवशेष न होने का प्रमाण पत्र मांगा जाना भी व्यवहारिक नहीं है।

महोदय गाटावार रियल टाईम खतौनी प्रचलन में होने और निरन्तर प्रत्येक आदेश के साथ संशोधित होने की प्रकिया के दृष्टिगत निर्विवाद उत्तराधिकार/ वरासत अभियान के कार्यक्रम में संशोधन की आवश्कता है। उक्त अभियान के अन्तर्गत लेखपाल अपने क्षेत्रों में निर्विवाद उत्तराधिकार आवेदन हेतु प्रचार प्रसार करेंगे और प्रशासन के स्तर से भी मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। मृतक खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल खतौनी एवं उत्तराधिकारियों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि साक्ष्यों सहित प्राप्त आफलाईन अथवा आनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर लेखपाल द्वारा आनलाईन आवेदन व जांच की प्रकिया कर दी जायेगी। मृतक खातेदार की मृत्यु, बाहरी जनपद /प्रदेश में होने अथवा उत्तराधिकारीगण के बाहरी निवास के दृष्टिगत आर0सी0 9 पोर्टल पर आवेदन करते समय साक्ष्य संलग्न करने की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है जिससे त्रुटिपूर्ण वरासत दर्ज होने की सम्भावना कम हो सके।

अतः महोदय से निवेदन है कि त्रुटिरहित अविवादित वरासत अभियान सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--

1 मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
2 मा0 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3 समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

गांव में खतौनी पढ़ने का कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों में अव्यहारिक हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश में उल्लिखित कार्यक्रम के कमांक 5 के अनुसार लेखपाल क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण अवशेष न होने का प्रमाण पत्र मांगा जाना भी व्यवहारिक नहीं है।

महोदय गाटावार रियल टाईम खतौनी प्रचलन में होने और निरन्तर प्रत्येक आदेश के साथ संशोधित होने की प्रक्रिया के दृष्टिगत निर्विवाद उत्तराधिकार/ वरासत अभियान के कार्यक्रम में संशोधन की आवश्कता है। उक्त अभियान के अन्तर्गत लेखपाल अपने क्षेत्रों में निर्विवाद उत्तराधिकार आवेदन हेतु प्रचार प्रसार करेंगे और प्रशासन के स्तर से भी मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। मृतक खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल खतौनी एवं उत्तराधिकारियों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि साक्ष्यों सहित प्राप्त आफलाईन अथवा आनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर लेखपाल द्वारा आनलाईन आवेदन व जांच की प्रक्रिया कर दी जायेगी। मृतक खातेदार की मृत्यु, बाहरी जनपद /प्रदेश में होने अथवा उत्तराधिकारीगण के बाहरी निवास के दृष्टिगत आर0सी0 9 पोर्टल पर आवेदन करते समय साक्ष्य संलग्न करने की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है जिससे त्रुटिपूर्ण वरासत दर्ज होने की सम्भावना कम हो सके।

अतः महोदय से निवेदन है कि त्रुटिरहित अविवादित वरासत अभियान सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
2 मा0 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3 समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner